



बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

पो.—बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना—800014

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

P.O.-BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA – 800014

का.आ.सं.वि.प.वि.वि./कु.सं./प्रशा./सं.सं. 03/Promotion/08/2020/(Part-II)/.....351

दिनांक:.....13/10/2025

कार्यालय आदेश

बिहार गजट (असाधारण) सं० 63, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2022 को अधिसूचित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 के अध्याय—V में निहित प्रावधान वृत्ति उन्नयन योजना—2006 के अनुसार बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अंतर्गत बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सहायक प्राध्यापक या समकक्ष को निम्न ग्रेड वेतन से उच्च ग्रेड वेतन में पदोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति तथा साक्षात्कार समिति से प्राप्त अनुशंसा पर दिनांक—25.09.2025 को सम्पन्न विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की छब्बीसवीं बैठक की कार्यावली संख्या—26.4 पर अनुमोदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना के निम्न सह-प्राध्यापक वेतन बैंड रु० 15600—39100, एकेडमिक ग्रेड वेतन रु० 8000/— को सह-प्राध्यापक के पद पर वेतन बैंड रु० 37400—67000, एकेडमिक ग्रेड वेतन रु० 9000/— में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है :—

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	विभाग	एकेडमिक ग्रेड वेतन 8000/— की तिथि	एकेडमिक ग्रेड वेतन 9000/— की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ravikant Nirala, Assistant Professor	Livestock Production Management	31.10.2020	31.10.2023	
2	Dr. Ramesh Kumar Singh, Assistant Professor	Animal Genetic & Breeding	18.11.2020	18.11.2023	
3	Dr. Rashmi Rekha Kumari, Assistant Professor	Veterinary Pharmacology and Toxicology	31.10.2020	31.10.2023	
4	Dr. Avnish Kumar Gautam, Assistant Professor	Veterinary Anatomy	10.06.2019	10.06.2022	
5	Dr. Gyan Dev Singh, Assistant Professor	Veterinary Clinical Complex	08.11.2020	08.11.2023	

1. सेवा के सामान्य नियम और शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं समय-समय पर यथासंशोधित परिनियम के प्रावधान द्वारा शासित होंगी।
2. भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विश्वविद्यालय वृत्ति उन्नयन योजना 2006 के तहत शिक्षकों/वैज्ञानिकों को प्रदान की गई पदोन्नति में संशोधन/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों/वैज्ञानिकों का वेतन निर्धारण बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 के अध्याय— V के कड़िका 5.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा।

4. वृत्ति उन्नयन योजना 2006 के अंतर्गत पदोन्नति के बाद पायी गई विसंगतियों के फलस्वरूप यदि अतिरिक्त आहरण किया गया/पाया जाता है तो संबंधित शिक्षक से भविष्य में भुगतान के विरुद्ध वसूली/समायोजन किया जाएगा।

ह०/-
कुलसचिव (प्रभारी)।

ज्ञापांक: का.आ.सं.बि.प.वि.वि./कु.स./प्रशा./सं.सं. 03/Promotion/08/2020/(Part-II)/1372 दिनांक: 13/10/2025
प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित सहायक प्राध्यापक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी अधिष्ठातागण/निदेशकगण/छात्र कल्याण पदाधिकारी/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/सभी सहायक कुलसचिव (प्रशासन/नियुक्ति/शिक्षा एवं परीक्षा)/विधि पदाधिकारी/जन-संपर्क पदाधिकारी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. राज्यपाल के प्रधान सचिव को माननीय राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार राजभवन, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. सर्व-नियंत्री पदाधिकारी, आई०सी०टी०, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


13.10.25
कुलसचिव (प्रभारी)।

प्रतिलिपि:- कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।